न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व मूल वाद प्रकरण संख्या :20/2014 **Gems No 2014/00055**

(Execution प्रकरण सं. 39/2017 **Gems No 2017/00123**

दायरा तिथि : 25.02.2014

प्राथमिक डिक्री दिनांक: 24.06.2016 संशोधन दि0 13.12.2016 फाईनल डिक्री दिनांक 19-12-22

वादीगण :–

1. मूलाराम पुत्र भलाजी
2. पकाराम पुत्र भलाजी
3. लालाराम पुत्र भलाजी
4. सुजाराम पुत्र भलाजी
5. सकाराम पुत्र भलाजी
6. गजाराम पुत्र भलाजी
7. हेमाराम पुत्र भलाजी
8. वक्तू पुत्री भलाजी
9. मगीबाई पत्नि स्व0 भलाजी तमाम ही जाति से जणवा सिरवी
   निवासीगण लालराई तहसील बली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व0 केसा पुत्र कूपा के कायम मुकाम वारिसान:–
   - 1/1 रताराम पुत्र श्री केसारामजी
   - 1/2 नाजुबाई धर्मपत्नि स्व0 केसारामजी
   - 1/3 छोगीबाई पुत्री केसारामजी
   - 1/4 वरजु पुत्री केसारामजी
   - 1/5 लसकी पुत्री केसारामजी
   - 1/6 तीजो पुत्री केसारामजी
   - 1/7 कन्या पुत्री केसारामजी
2. स्व0 दुदा पुत्र कूपा के कायम मुकाम वारिसान:–
   - 2/1 चेलाराम पुत्र श्री दुदाजी
   - 2/2 मोटाराम पुत्र श्री दुदाजी
   - 2/3 श्रीमति सुकी पुत्री दुदाजी तमाम ही जाति से जणवा चौधरी
     निवासीगण लालराई तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थितिः–

1. श्री दुदाराम चौधरी, ... अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. श्री दिनेश गहलोत .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से
3. श्री नेकाराम चौधरी................ अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार............पैरोकार सरकार

दिनांक : 19-12-22

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम लालराई पटवार हल्का, सेसली तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 719, 947, 955, 956 कुल खसरा–04 कुल रकबा 4.91 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम कुल लगान 101.47 रूपये के सबंध में वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 के वारिशान का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–02 के वारिशान का 1/3 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। एवं साथ ही खसरा नंबर 956 में स्थित बेरे का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य तीसरे–तीसरे हिस्से अनुसार वारा (रोटेशन) तय कर वादीगण के रोटेशन में तय दिवसो को बेरे से पानी निकालने में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नहीं करे, इस हेतु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रैस की प्रमाणित प्रति, द्वितीय प्रति नोटिस, रजिस्ट्री डाक रसीद प्राप्ति रसीद फोटो प्रति बिजली बिल पेश की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 के समस्त कामु. की ओर से वकील श्री दिनेश गहलोत तथा प्रतिवादी संख्या 02 के समस्त कामु. की ओर से वकील श्री नेकाराम चौधरी द्वारा वकालतनामें प्रस्तुत किये गये। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के कायम मुकाम की ओर से जवाबदावा प्रस्तुती के बाद पत्रावली पैरोकार सरकार के जवाब के लिये लंबित रहते राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालते चलाने से दिनांक 24.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ड सेसली में पत्रावली सुनवाई पर ली गई।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व मूल वाद प्रकरण संख्या :20/2014 Gcms No 2014/00055
(Execution प्रकरण सं. 33/2017 Gcms No 2017/00123
अनवान मूलाराम वगैरा बनाम केसा के कायु.रताराम वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक 24.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प सेराली में वादी पक्ष की ओर से सकाराम व हेमाराम उपस्थित हुये तथा प्रतिवादी पक्ष में तीजो, कन्या, चेलाराम, रताराम चौधरी, मोटाराम, छोगी, राजु, लसकी उपस्थित हुये। उपस्थित प्रतिवादी पक्ष द्वारा भूमि का 40 वर्षो पुर्व पक्षकारो के मध्य भौतिक तौर से बंटवाडा होना जाहिर किया तथा खसरा नंबर 956 में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा बेरा खोदने से वादी पक्ष का उक्त बेरे में कोई हक हकूक नहीं होना बताया। जिससे उपस्थित पक्षकारो को सुनने के पश्चात् मजमा-ए-आम में राजस्व लोक अदालत केम्प सेराली में दिनांक 24.06.2016 को वादग्रस्त भूमि मौजा लालराई के खसरा नंबर 719, 947, 955, 956 कुल खसरा-04 कुल रकबा 4.91 हैक्टर के अधिकार अभिलेखों में दर्ज वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त जारी प्राथमिक डिक्री आदेश के सबंध में अधिवक्ता वादी श्री दुदाराम चौधरी द्वारा दिनांक 28.11.2016 को प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. पेश कर प्राथमिक डिक्री आदेश में खसरा नंबर 956 में खोदे गये बेरे से वादी के पानी लेने के अनुतोष के सबंध में बाराबन्दी तय किये जाने का खुलासा नहीं होने से उक्त भूल को धारा 152 स.पी.सी. के तहत सुधार किये जाने का निवेदन किया। जिस प्रार्थना पत्र पर वाद सुनवाई के न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2016 को संशोधित आदेश पारित करते हुये खसरा नंबर 956 में खोदे गये बेरे से पानी का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा अनुसार रोटेशन तय कर प्राथमिक डिक्री की पालना तहसीलदार, बाली को करने के निर्देश दिये गये। प्रकरण में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना समय रहते नहीं की जाने से वादी पक्ष की ओर से वकील श्री गणपतलाल चौधरी ने दिनांक 05.09.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.06.2016 को पारित प्राथमिक डिक्री आदेश व इस सबंध में दिनांक 13.12.2016 को जारी संशोधित आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट तलब कर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादीपक्ष के आवेदन पत्र पर (**Execution** प्रकरण सं. 33/2017 Gcms No 2017/00123 दिनांक 13.09.2017 को पंजिबद्ध कर तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय को सुना गया। प्राप्त रिपोर्ट पर दोनो पक्षो द्वारा असहमति प्रकट करने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 04.09.2018 से तहसीलदार, बाली को प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र, पुर्व में प्रेषित विभाजन प्रस्ताव मूल पुनः न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/1443 दिनांक 06.09.2018 से भिजवाते हुये पुनः रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में बार- बार स्मरित कराये जाने पर तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2021/1291 दिनांक 29.7.2021 से विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस रिपोर्ट पर उभय पक्ष वकुलाय को सुना गया। उक्त रिपोर्ट से भी दोनो पक्ष सहमत नहीं हुये, जिससे न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.03.2022 से प्रकरण में तहसीलदार, बाली से मौके पर भौतिक रूप से सर्वे नपाई के पश्चात् मौके पर कौन पक्षकार कौनसे खसरा नंबर की भूमि में कितने रकबे पर काबिज है। इस आशय की रिपोर्ट तलब की गई। न्यायालय आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेसली द्वारा मौका जांच के बाद पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट तैयार करते समय हल्का पटवारी सेसली द्वारा **दिनांक 12.11.2022 को एक मौका फर्द भी बनाई गई।** जिस मौका फर्द में मौके पर ग्राम लालराई के खसरा नंबर 719, 947, 955, 956 कुल खसरा-04 कुल रकबा 4.91 हैक्टर के खातेदार चेलाराम पुत्र दुदाराम, मूलाराम पुत्र भलाजी, नाजूबाई पत्नि केसाजी मौके पर उपस्थित रहे। अन्य खातेदारो से सम्पर्क किया गया तो रताराम पुत्र केसाराम ने आपत्ति की, रताराम अभी मुम्बई में है तथा खातेदारो को मौके पर विभाजन हेतु कहने पर खातेदारो का कहना हैं कि अभी मौके पर चना, रजगा की फसल हैं तथा रताराम के मुम्बई से आने पर मौके पर विभाजन किया जाये। रताराम ने 20 दिन बाद सीमांकन करने हेतु सह खातेदारो को कहने पर मौके पर उपस्थितो ने भी कहा कि सभी की उपस्थिति में ही विभाजन किया जाये। **जबकि पूर्व में मौके पर सीमांकन कर बता दिये गये है। मौका फर्द मौके पर बनाकर हस्ताक्षर करवाये** गये। उपस्थितो ने विवाद (आपस) में करते हुए **हस्ताक्षर से इन्कार किया।** उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेसली द्वारा निम्न तथ्य वर्णित किये:-

1. यह है कि ग्राम लालराई के खसरा नंबर 719, 947, 955, 956 कुल खसरा-04 कुल रकबा 4.91 हैक्टर की प्राथमिक डिक्री की पालना श्रीमान् के पत्रांक/भू.अ./21/1291 दिनांक 29.07.21 को पुनः रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन दोनो पक्षो के सहमत नहीं होने से माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार पुनः मौका जांच की गई।

पेज लगातार......03

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

राजस्व मूल वाद प्रकरण संख्या :20/2014 Gcms No 2014/00055
(Execution प्रकरण सं. 33/2017 Gcms No 2017/00123
अनवान मूलाराम वगैरा बनाम केसा के कामु.रताराम वगैरा
<u>*अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955*</u>

2. यह है कि मौके पर पूर्व सूचना के बावजूद चेलाराम/दुदाराम, मूलाराम पुत्र भलाजी, नाजू पत्नि केसाजी उपस्थित मिले तथा फोन पर रताराम पुत्र केसाराम ने बताया कि वह मुम्बई में है तथा बिना उनकी उपस्थिति मे सीमांकन नहीं किया जाये। मौके पर पूर्व में रेकर्ड अनुसार बंटवारा किया गया है लेकिन पक्षकार पारिवारिक **विवादो के कारण सहमत नहीं होकर बार-बार आपत्तियाँ दर्ज करा रहे है।** बेरे पर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 दावा जता रहे है तथा वादीगण रास्ता प्रयोजनार्थ रकबे में कब्जा नहीं मानकर विरोध जता रहे है जबकि रेकर्ड अनुसार बंटवारे में रास्ता शामलात, बेरा शामलात रखकर ही रकबा हिस्से अनुसार किया जाना संभव है।

अतःदर्ज आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बेरे एवं रास्ता शामलात ही दर्ज होते है तथा सीमांकन भी पुर्व में तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/एल.आर./21/1291 दिनांक 29.7.2021 से प्रेषित रिपोर्ट (जो मूल फाईल संलग्न हैं) अनुसार किया जाने से प्रकरण में दिनांक 29.07.2021 को प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में पुनः रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी पक्ष श्री प्रदीप चौधरी, दुदाराम चौधरी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 श्री दिनेश गहलोत व प्रतिवादी संख्या-02 श्री नेकाराम चौधरी की बहस सुनी गई। उभय पक्ष वकुलाय द्वारा बहस में पुनः प्राप्त रिपोर्ट से भी असहमति प्रकट की।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय को सुनने के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में ज्ञात हैं कि उक्त वाद ग्राम लालराई पटवार हल्का, सेसली तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 719, 947, 955, 956 कुल खसरा-04 कुल रकबा 4.91 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम कुल लगान 101.47 रूपये के संबंध में धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 के वारिशान का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या-02 के वारिशान का 1/3 हिस्सा अनुसार वाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री एवं साथ ही खसरा नंबर 956 में स्थित बेरे का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य तीसरे-तीसरे हिस्से अनुसार वारा (रोटेशन) तय कर वादीगण के रोटेशन में तय दिवसो को बेरे से पानी निकालने में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नहीं करे, इस हेतु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का वर्ष 2014 से इस न्यायालय में लंबित है। जिस वाद में दोनो पक्षो की उपस्थिति में दिनांक 24.06.2016 को केम्प सेसली में प्राथमिक डिक्री आदेश पारित किये गये। तथा निर्णय में लिपिकीय त्रुटि रहने से आदेश दिनांक 13.12.2016 से खसरा नंबर 956 में खोदे गये बेरे से 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा अनुसार पानी निकालने का रोटेशन तय करने के संशोधित आदेश कर तहसीलदार, बाली रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा **वर्ष 2018 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस रिपोर्ट से दोनो पक्ष असंतुष्ट होने से प्रस्तुत आपत्तियो के संदर्भ में पुनः विभाजन रिपोर्ट तहसीलदार, बाली से तलब की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2021/1291 दिनांक 29.7.2021 से पुनः विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट से भी दोनो पक्ष असंतुष्ट होने से न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेसली ने मौका जांच के बाद मौका फर्द तैयार करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2022/1408 दिनांक 21.11.2022 से उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करते पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो को खारिज करते हुये पुर्व में प्रेषित रिपोर्ट कार्यालय पत्रांक/भू.अ./21/1291 दिनांक 29.7.2021 के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की अनुशंषा की गई है।**

अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण मे यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधियो द्वारा न्यायालय आदेश की पालना में धारा 53 में विधि के प्रावधानो अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। परन्तु दोनो ही पक्ष बार-बार किसी तरह की आपत्तियाँ लगा रहे है। बार -बार पक्षकारो द्वारा आपत्तियाँ लगाना तथा उन आपत्तियो के संबंध में राजस्व अधिकारियो से बार-बार रिपोर्ट तलब करना भी न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि तहसीलदार, बाली द्वारा भूमि विभाजन में धारा 53 के विधिक प्रावधानो की पुर्ण रूप से पालना की गई है, अर्थात् सभी पक्षकारो के हिस्से बंट की भूमि तक पहुँच के लिये आवागमन के लिये रास्ते इत्यादि की सुविधाओ को ध्यान मे रखा गया है, तथा बेरा को संयुक्त में रखते हुये बाराबन्दी भी तय की जा चुकी है। जिससे पक्षकारो द्वारा की गई आपत्तियाँ सारहीन होने से खारिज की जाती है। वादग्रस्त भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का, सेसली तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 719, 947, 955, 956 कुल खसरा-04 कुल रकबा 4.91 हैक्टर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम कुल लगान 101.47 रूपये के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत तहत तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/भू.अ./21/1291 दिनांक 29.7.2021 के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है:-

पेज लगातार 04

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज

Scanned with CamScanner

//04//

राजस्व मूल वाद प्रकरण संख्या :20/2014 Gcms No 2014/00055
(Execution प्रकरण सं. 33/2017 Gcms No 2017/00123
अनवान मूलाराम वगैरा बनाम केसा के कामु.रताराम वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

I. मूलाराम पुत्र भला 1/9 गजाराम पुत्र भला 1/9, पकाराम पुत्र भला 1/9 लालाराम पुत्र भला 1/9, सकाराम पुत्र भला 1/9, सुजाराम पुत्र भला 1/9, हेमाराम पुत्र भला 1/9, वक्तु पुत्री भला 1/9, मगीबाई पत्नि भला 1/9 हिस्सा कौम सीरवी जणवा सा. देह खातेदार :

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म	लगान (रूपयो में)	नक्शे में दर्शित रंग
1	955/3	0.3567 हैक्टर	चा..दो. 0.2100	6.72	गुलाबी रंग
			जा.दो. 0.1467	1.61	
2	956/4	0.7133 हैक्टर	चा.दो. 0.1066	3.42	
			जा.दो. 0.6067	6.67	
3	947/3	0.2100 हैक्टर	चा.दो. 0.1700	5.44	
			जा.दो. 0.0400	0.44	
4	719/1	0.2933	चा.दो. 0.2033	6.50	
			जा.दो. 0.0900	0.99	
	04	1.5733		31.79	

II. रताराम पुत्र केसा 1/7 कन्या पुत्री केसा 1/7 छोगी पुत्री केसा 1/7 तीजो पुत्री केसा 1/7 लसकी पुत्री केसा 1/7 वरजु पुत्री केसा 1/7 नाजुबाई पत्नि केसा 1/7 हिस्सा कौम सीरवी जणवा सा. देह खातेदार

1	955/2	0.3567 हैक्टर	चा..दो. 0.2100	6.72	पीला रंग
			जा.दो. 0.1467	1.61	
2	956/3	0.7133 हैक्टर	चा.दो. 0.1067	3.42	
			जा.दो. 0.6067	6.67	
3	947/2	0.2100 हैक्टर	चा.दो. 0.1700	5.44	
			जा.दो. 0.0400	0.44	
4	719/2	0.2933	चा.दो. 0.2033	6.51	
			जा.दो. 0.0900	0.99	
	04	1.5733		31.80	

III. चेलाराम पुत्र दुदाराम 1/3 गोटाराम पुत्र दुदाराम 1/3 सुखीबाई पुत्री दुदाराम 1/3 हिस्सा कौम सीरवी जणवा सा. देह खातेदार

1	955	0.3566 हैक्टर	चा..दो. 0.2100	6.72	जामूनी रंग
			जा.दो. 0.1466	1.62	
2	956	0.7134 हैक्टर	चा.दो. 0.1067	3.42	
			जा.दो. 0.6067	6.67	
3	947/1	0.2100 हैक्टर	चा.दो. 0.1700	5.44	
			जा.दो. 0.0400	0.44	
4	719/3	0.2934 हैक्टर	चा.दो. 0.2034	6.51	
			जा.दो. 0.0900	0.99	
	04	1.5734		31.80	

IV. शामलाती खाताः– कन्या पुत्री केसाराम 1/21, गजाराम पुत्र भला 1/27 चेलाराम पुत्र दुदाराम 1/9 छोगी पुत्री केसाराम 1/21 तीजो पुत्री केसाराम 1/21, नाजुबाई पत्नि केसाराम 1/21 पकाराम पुत्र भला 1/27 मगीबाई पत्नि भला 1/27 मूलाराम पुत्र भला 1/27 गोटाराम पुत्र दुदाराम 1/9 रताराम पुत्र केसाराम 1/21 लसकी पुत्री केसाराम 1/21 लालाराम पुत्र भला 1/27 वक्तु पुत्री भला 1/27 वरजु पुत्री केसाराम 1/21 सकाराम पुत्र भला 1/27 सुखीबाई पुत्री दुदाराम 1/9 सुजाराम पुत्र भला 1/27 हेमाराम पुत्र भला 1/27 समस्त जाति सीरवी जणवा सा. देह खातेदार

1	955/1 (रास्ता)	0.03 हैक्टर	चाही दोयम	0.96	हरा रंग
2	956/1	0.04 हैक्टर	चाही दोयम	1.28	
3	956/2 (देरा सडा)	0.02हैक्टर	चाही दोयम	0.64	
4	947 (रास्ता)	0.02हैक्टर	चाही दोयम	0.64	
5	719 (रास्ता)	0.08 हैक्टर	चाही दोयम	2.56	
	05	0.19 हैक्टर		6.08	

पेज लगातार.......05

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व मूल वाद प्रकरण संख्या :20/2014 Gcms No 2014/00055
(Execution प्रकरण सं. 33/2017 Gcms No 2017/00123
अनवान मूलाराम वगैरा बनाम केसा के कामु.रताराम वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

खसरा नंबर 596 में विधुतीकृत नया बेरा खुदा हुआ है। जिसको शामलाती में रखा गया है। जिसके खसरा नंबर 956/2 रकबा 0.02 हैक्टर है, जिसमें रोटेशन से तीन–तीन दिन की खाता संख्या I, II, III के खातेदारो द्वारा पानी का उपयोग लिये जाने बाबत् बाराबंदी तय की जाती है। पक्षकारान् के मध्य बेरे के उपयोग उपभोग के सबंध में इसी अनुसार बाराबन्दी की डिक्री जारी की जाती है। वादी के रोटेशन अनुसार तय तीन दिवस में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे इस बावत् प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्व टिनेन्सी एक्ट. की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ भू.अ./2021/1291 दिनांक 29.7.2021 से प्रेषित रिपोर्ट एवं उसके संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेसली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज)

निर्णय आज दिनांक 19-12-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner